सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 1 राँची, बुधवार 19 पौष, 1940 (श०) / 9 जनवरी, 2019 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 1- 39

भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

भाग-4–झारखण्ड अधिनियम

भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9- विज्ञापन ---

भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ... ...

पूरक "अ" ... ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

20 दिसम्बर, 2018

संख्या- 1/विविध-818/05 खंड का.-9237 -- विभागीय पत्रांक-8995 दिनांक 11 दिसम्बर, 2018 से श्री के०के० खण्डेलवाल, भा.प्र.से. (झाः1988), अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड को दिनांक 22 दिसम्बर, 2018 से 26 दिसम्बर, 2018 तक आकस्मिक/ राजपत्रित/ सार्वजनिक अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 के अपराह्न से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की गई है।

2. श्री के०के० खण्डेलवाल, भा.प्र.से. के अनुपस्थिति की अवधि में श्री सतेन्द्र सिंह, भा.प्र.से. (झाः1995), राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड अपने कार्यों के साथ सचिव, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

21 दिसम्बर, 2018

संख्या-1/विविध-805/2010 (पार्ट-1) का॰ - 9297 -- श्री इन्दु शेखर चतुर्वेदी, भा.प्र.से. (झाः1987), सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 से 04 जनवरी, 2019 तक कुल 05 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा 29 दिसम्बर, 2018, 30 दिसम्बर, 2018, 05 जनवरी, 2019 एवं 06 जनवरी, 2019 के सार्वजनिक/राजपत्रित अवकाश का उपभोग एवं उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

24 दिसम्बर, 2018

संख्या-1/विविध-821/2017 का॰ - 9352 -- श्री दिलीप कुमार झा, भा.प्र.से. (झाः2004), परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड को स्वीकृत छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा उपभोग हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 से 02 जनवरी, 2019 तक कुल 10 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं 22 दिसम्बर, 2018 से 23 दिसम्बर, 2018 के राजपत्रित अवकाश उपभोग की अनुमति के साथ-साथ उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

24 दिसम्बर, 2018

संख्या-1/पी०-102/2014 खण्ड का.- 9360 -- सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारित विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-309/स०को०, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 से प्राप्त पत्र के आलोक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत अत्यावश्यक योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए भ्रमण एवं बैठक हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्न पदाधिकारियों को दिनांक 26-28 दिसम्बर, 2018 तक हैदराबाद जाने की अनुमति प्रदान की गयी है:-

1. श्री मंजूनाथ भजन्त्री, भा.प्र.से. (झाः2011), संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड।
2. श्री ए० दोड्डे, भा.प्र.से., भा.प्र.से. (झाः2011), उपायुक्त, धनबाद।
3. श्री घोलप रमेश गोरख, भा.प्र.से. (झाः2012), निदेशक, कृषि।
4. श्री रविशंकर शुक्ला, भा.प्र.से. (झाः2012), उपायुक्त, हजारीबाग।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

26 दिसम्बर, 2018 ई०।

संख्या-वि०स०वि०- 36/2018- 3731 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें।

ह०/-

महेन्द्र प्रसाद,

सचिव

झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

[वि०स०वि०-23/2018]

झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 में संशोधन हेतु विधेयक भारत गणराज्य के 69वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो,

अध्याय -1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-

(i) यह अधिनियम झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2018 कहा जा सकेगा।

(ii) यह तुरंत प्रभावी होगा।

अध्याय-2

झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 का संशोधन-

2. झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (I) के खण्ड (ii) का संशोधन- धारा-19 की उपधारा (I) के खण्ड (ii) के वत्र्तमान प्रावधान -

'' विहित रीति से विश्वविद्यालय के पदों का सृजन और शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना''।

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित हो -

'' विहित रीति से विश्वविद्यालय के पदों का सृजन और विश्वविद्यालय के शिक्षक, विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक पद एवं विश्वविद्यालय के अन्य शैक्षणिक पदों पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मियों का झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति करना''।

उददे्श्य एवं हेतु

झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के धारा-19 की उपधारा (I) के खण्ड (ii) में विहित रीति से विश्वविद्यालय के पदों के सृजन और शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति करने संबंधी स्पष्ट उल्लेख नहीं रहने के कारण झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के आलोक में तैयार Statute/Regulation पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्त करने के क्रम में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्श दिया गया कि झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 में झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रांची में नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधिकार प्रदान नहीं की गई है, इस कारण उक्त अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग को विश्वविद्यालय के पदों पर नियुक्ति हेतु अधिकार दिये जाने संबंधी परामर्श के आलोक में झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के धारा-19 की उपधारा (I) के खण्ड (ii) को संशोधित किया जाय।

अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 में संशोधन के लिये अधिनियम गठित किया जाय।

(डा० नीरा यादव)
(भार साधक सदस्य)

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

27 दिसम्बर, 2018 ई०।

संख्या-वि०स०वि०- 34/2018- 3735 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 27 दिसम्बर, 2018 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें।

ह०/-

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

[वि०स०वि०-25/2018]

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन हेतु विधेयक, 2018

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के 69वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल (सभा) द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

2. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा 4(2)(क) में संशोधन करते हुए सभी कोटियों में क्षैतिज आरक्षण विनियमित करने के संबंध में।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

(1) यह अधिनियम ''झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2018'' कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा 4(2)(क) के प्रावधान को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

4(2)(क) सीधी भर्ती हेतु सभी नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के अनारक्षित एवं आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों के लिए निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण विनियमित होगाः-

(i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का अधिनियम संख्यांक-49) की धारा-34(1) के तहत राज्य की सभी स्थापनाओं में नियुक्ति के मामले में दिव्यांग-जनों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथानिर्धारित आरक्षण।

(ii) महिलाओं के लिए - 5 प्रतिशत

परन्तु, यह कि राज्य सरकार झारखण्ड राजपत्र में अधिसूचना जारी कर जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार विभिन्न जिलों के लिए विभिन्न प्रतिशत नियत कर सकेगी;

परन्तु, यह और कि प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए इस धारा के अधीन यथा उपबंधित अनुपात में आरक्षण किया जाएगा।

उद्देश्य एवं हेतु

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा 4(2)(क) में केवल आरक्षित कोटि के महिलाओं एवं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की संकल्प सं०-5776, दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 के द्वारा राज्य स्तरीय पदों सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण की अंतरिम व्यवस्था के अन्तर्गत अनारक्षित एवं आरक्षित दोनों कोटियों हेतु क्षैतिज आरक्षण मान्य किया गया है।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में अपेक्षित संशोधन नहीं किए जाने के कारण क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान को लागू करने में संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

राज्य सरकार सरकारी सेवाओं में दिव्यांगों एवं महिलाओं के समुचित प्रतिनिधित्व के लिए कृत संकल्प है। अतः झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2018 लाया जाना आवश्यक है।

उपर्युक्त उद्देश्य हेतु आवश्यक प्रावधान इस विधेयक में किये गये हैं, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

रघुवर दास
भार-साधक सदस्य

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

27 दिसम्बर, 2018 ई०।

संख्या-वि०स०वि०- 37/2018- 3738 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 27 दिसम्बर, 2018 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें।

ह०/-

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

[वि०स०वि०-28/2018]

भारतीय मुद्रांक (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 में संशोधन के लिए विधेयक

भारतीय गणराज्य के उन्हत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित होः-

1) संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारंभः- यह अधिनियम भारतीय मुद्रांक (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा।

2) इसका प्रसार संपूर्ण झारखण्ड में होगा।

3) यह उस तिथि को प्रवृत होगा, जैसा कि राज्य सरकार, राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

4) मूल अधिनियम की धारा 10 (1) निम्न रूप से प्रतिस्थापित की जाएगी।

(10) शुल्क कैसे दिये जाएगें :-

(1) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सभी शुल्क जिनसे कोई लिखतें प्रभार्य है, संदत्त किये जायेंगे और ऐसा संदाय ऐसे लिखतों पर स्टाम्प अथवा अन्य माध्यम जैसा राज्य सरकार चाहे द्वारा उपदर्शित किया जाएगा -

(क) इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, या

(ख) जहाँ ऐसा कोई उपबंध लागू न हो वहाँ जैसा राज्य सरकार नियम द्वारा विहित करे।

वित्तीय संलेख

वर्तमान में मुद्रांक शुल्क का भुगतान नासिक/हैदराबाद स्थित सिक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रित स्टांप द्वारा अथवा स्टॉक हॉल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं उसके प्राधिकृत बैंक/डाकघरों द्वारा विक्रय किये जा रहे ई-स्टाम्प के माध्यम से होता है। नासिक/हैदराबाद सिक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस में स्टाम्प छपवाने पर सरकार को बड़ी राशि का व्यय करना पड़ता है तथा उसमें अत्यधिक समय भी लगता है। इसी कारणवश सरकार द्वारा स्टॉक हॉल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ई-स्टाम्प बिक्री हेतु प्राधिकृत किया गया किन्तु उसमें भी सरकार को बिक्री किये जा रहे ई-स्टाम्प के मूल्य का 0.65 प्रतिशत कमीशन स्टॉक हॉल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को देना पड़ता है। कमीशन की यह राशि भी करोड़ में है। वित्तीय वर्ष-2013-14 से वित्तीय वर्ष 2017-18 तक ई-स्टाम्प की बिक्री पर कमीशन के रूप में विभाग द्वारा 4,38,36,959 (चार करोड़ अड़तीस लाख, छत्तीस हजार नौ सौ उनसठ रू0) की राशि स्टॉक हॉल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी जा चुकी है जो निःसंदेह बड़ी रकम है। यदि मुद्रांक शुल्क के भुगतान की अन्य व्यवस्था की जाए तो सरकार को मुद्रांकों की छपाई अथवा ई-स्टाम्प के कमीशन के रूप में दी जा रही राशि की बचत होगी। साथ ही जनता को बैंक, डाकघरों के चक्कर भी नहीं लगाने होंगे। इस संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग एवं विधि (न्याय) विभाग की सहमति के उपरांत ही मुद्रांक शुल्क का भुगतान अन्य माध्यम से भी करने का प्रस्ताव है।

अमर कुमार बाउरी,

भार साधक सदस्य

उदेश्य् एवं हेतु

वर्तमान में मुद्रांक शुल्क का भुगतान नासिक/हैदराबाद स्थित सिक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रित स्टांप द्वारा अथवा स्टॉक हॉल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं उसके प्राधिकृत बैंक/डाकघरों द्वारा विक्रय किये जा रहे ई-स्टाम्प द्वारा किया जाता है। इन मुद्रांकों की प्राप्ति हेतु पक्षकारों को या तो मुद्रांक विक्रेताओं अथवा बैंक या डाकघरों से संपर्क करना पड़ता है। यदि अन्य माध्यम से भी मुद्रांक शुल्क के भुगतान का प्रावधान किया जाए तो जनता को बैंक, डाकघर या मुद्रांक विक्रेता के समक्ष जाने की आवश्यकता नहीं होगी साथ ही उससे मुद्रांक की अनुपलब्धता अथवा मुद्रांकों की कालाबाजारी की समस्या से भी छुटकारा प्राप्त होगा। साथ ही मुद्रांकों की छपाई पर होनेवाले व्यय तथा स्टॉक हॉल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कमीशन देने पर हो रही सरकारी राशि की भी बचत होगी।

(अमर कुमार बाउरी)

भार साधक सदस्य

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

27 दिसम्बर, 2018 ई०।

संख्या-वि०स०वि०- 38/2018- 3741 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 27 दिसम्बर, 2018 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें।

ह०/-

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

[वि०स०वि०-27/2018]

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018
झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) में संशोधन हेतु अधिनियम

प्रस्तावना

जबकि राज्य के शिक्षकों के हित तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के मापदण्ड को ध्यान में रखकर शिक्षक को पुनः परिभाषित किया जाय;

और, जबकि लिंग आधारित उपस्थिति पंजी में अंतर को भरने के हित में यह अतिसमीचीन है कि एक महिला विश्वविद्यालय कि स्थापना की जाए;

और, जबकि राज्य के शैक्षणिक हित में यह अति समीचीन है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं प्रतिकुलपति की नियुक्ति के प्रावधान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित मापदण्ड तथा झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के मानदण्ड के अनुरूप हो;

और, जबकि यह राज्य के शैक्षणिक हित में है कि विश्वविद्यालय के अधिषद की आजीवन सदस्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक राशि को आज के मौद्रिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए ऊपर की तरफ पुनरीक्षित किया जाए;

और, जबकि नये परिपेक्ष्य में राज्य के संबद्ध महाविद्यालयों (धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) में शिक्षकों के प्रोन्नति के लिए प्रावधानों के गठन की आवश्यकता है;

अतएव, भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

अध्याय-01

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

(i) यह अधिनियम, ''झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह तुरंत प्रभावी होगा।

अध्याय-02

2. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-2 के उपधारा-(v)(वी) का प्रतिस्थापनः-

वर्त्तमान धारा-2 की उपधारा (v) का प्रावधानः-

2 (v) शिक्षक में प्राचार्य, विश्वविद्यालय के आचार्य, कॉलेज के आचार्य, उपाचार्य, व्याख्याता, जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभाग, महाविद्यालय अथवा संस्थान में अध्यापन का कार्य करते हो, शामिल है।

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित हो

2 (v) शिक्षक में प्राचार्य, विश्वविद्यालय के आचार्य, कॉलेज के आचार्य, उपाचार्य/ सह-प्राध्यापक/व्याख्याता सेलेक्शन ग्रेड/व्याख्याता सिनियर ग्रेड और व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक (स्तर i, ii, एवं iii) जो कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभाग, महाविद्यालय अथवा संस्थान में अध्यापन का कार्य करते हो, शामिल है ।

3. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-3 (विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संयोजन) की उपधारा (1) (q) का समावेशन ।

निम्नलिखित प्रावधान से समावेशित होः-

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित), की धारा-3 की उपधारा (1) (p) के अंत में निम्नलिखित उपधारा (1) (q) के रूप में समावेश किया जायेगा।

''3(1)(q) जमशेदपुर वीमेन्स कॉलेज, जमशेदपुर को स्तरोन्यन कर ''जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर'' होगा एवं जिसका मुख्यालय जमशेदपुर में होगा ।''

4. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-10 की उपधारा-(1) अन्तर्गत धारा-10 की उपधारा-(1)(i) के रूप में समावेशन।

वर्त्तमान धारा 10 की उपधारा (1) का प्रावधानः-

"ऐसा कोई भी व्यक्ति कुलपति के पद के लिए योग्य नहीं होगा, जो कि कुलाधिपति की राय में अपनी विद्वता तथा शैक्षणिक अभिरूचि के लिए विख्यात नहीं हो ।

इसके आगे यह वांछनीय होगा कि व्यक्ति को सरकार अथवा विश्वविद्यालय के स्तर पर प्रशासकीय अनुभव हो"।

निम्नलिखित प्रावधान से समावेशित होः-

10 (1)(i) कुलपति का चयन एक खोज समिति द्वारा समुचित चिन्हितिकरण करके 3-5 नाम वाले पैनल से एक सार्वजनिक अधिसूचना या मनोनयन या एक टैलेंट सर्च प्रक्रिया या इन दोनों विधियों की प्रक्रिया के जरिए चिन्हित किया जायेगा। उपर्युक्त खोज समिति के सदस्य किसी भी रूप में संबंधित विश्वविद्यालय से या उसके महाविद्यालयों से संबद्ध नहीं होंगे ।

राज्य के विश्वविद्यालयों हेतु खोज समिति का गठन निम्नवत् होगा:-

क कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति, जो कि समिति का अध्यक्ष होंगे ।

ख. कुलाधिपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित प्रख्यात शिक्षाविद् - सदस्य

ग. राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पदाधिकारी - सदस्य

5. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-10 की उपधारा - (2) का प्रतिस्थापन एवं समावेशन ।

वर्त्तमान धारा 10 की उपधारा (2) का प्रावधानः-

"कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से की जायेगी ।"

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित होः-

धारा-10 की उपधारा-2 का प्रतिस्थापन

"धारा 10(2)(i)-कुलाधिपति खोज समिति द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल में से राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति की नियुक्ति करेंगे ।"

धारा-10 उपधारा-(2) में समावेशनः-

"10(2)(ii) खोज समिति द्वारा अनुशंसित पैनल 01 वर्ष के लिए वैध होगा, जिससे कि एक वर्ष के अंदर ऐसी स्थिति में, जिसमें नियुक्त व्यक्ति प्रथम द्रष्टया में योगदान नहीं दे, कुलपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा उसे अधिनियम के प्रावधान के अनुसार हटाया गया हो, कुलाधिपति इस पैनल से राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात् कुलपति की नियुक्ति करेंगे ।"

6. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-10 की उपधारा -(3)(b) में प्रतिस्थापनः-

वर्त्तमान धारा 10 की उपधारा (3)(b) का प्रावधानः-

"इस धारा में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सामान्यतः कुलपति की पदावधि तीन वर्षों की होगी और कथित पदावधि की समाप्ति के पश्चात् वे राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा पुनर्नियुक्त किये जा सकेंगे और वे कुलाधिपति के इच्छा पर पद पर अधिकतम तीन वर्षों तक आसीन रह सकेंगे ।"

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित होः-

धारा 10 की उपधारा(3)(b) का प्रतिस्थापनः-

"10 (3)(b) "इस धारा में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सामान्यतः कुलपति की पदावधि तीन वर्षों की होगी। कुलपति के पद पर आवेदन के लिए आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगा। पदावधि के समाप्ति के बाद वे कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श तथा कुलाधिपति के इच्छा पर, अधिकतम तीन वर्षों या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो, के लिए पद पर पुनर्नियुक्त किये जा सकेगें ।"

7. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-10 की उपधारा-(4)(ii) में प्रतिस्थापनः-

वर्तमान धारा-10 की उपधारा-(4)(ii) का प्रावधान

"यदि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति केन्द्र या राज्य सरकार या किसी विश्वविद्यालय से या किसी अन्य स्रोत से पेंशन पाता हो, वहाँ उस देय पेंशन की राशि को उन्हें देय पेंशन का अंश माना जायेगा ।"

धारा-10 की उपधारा-(4) (ii) में प्रतिस्थापित हो

"यदि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति केन्द्र या राज्य सरकार या किसी विश्वविद्यालय से या किसी अन्य स्रोत से पेंशन पाता हो, वहाँ उस देय पेंशन की राशि को उन्हें देय वेतन एवं भत्ता का अंश माना जायेगा ।"

8. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-12 की उपधारा-(1) का प्रतिस्थापनः-

वर्त्तमान धारा 12 की उपधारा (1) का प्रावधानः-

"कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से प्रतिकुलपति की नियुक्ति करेगें ।"

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित होः-

धारा-12 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन

"कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से "कुलपति की नियुक्ति के लिए यथा विहित रीति से ही, प्रतिकुलपति की नियुक्ति करेंगे ।"

9. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एंव यथा संशोधित) के धारा-18 की उपधारा-(13) का प्रतिस्थापन

वर्त्तमान धारा 18 की उपधारा (13) का प्रावधानः-

"प्रत्येक व्यक्ति, जिसने कुलाधिपति की संतुष्टि के अनुसार एक या अधिक किस्तों में कम से कम एक लाख रूपये नगद अथवा समकक्ष मूल्य की सम्पत्ति विश्वविद्यालय अथवा किसी महाविद्यालय को अथवा उनके हितों के लिए दिया हो ।

बशर्ते कि कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के आजीवन सदस्य के लिए निहित राशि 25,000 रूपये होगी ।"

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित होः-

धारा-18 की उपधारा (13) का प्रतिस्थापनः-

"विश्वविद्यालय के अधिषद् के आजीवन सदस्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति, जिसने कुलाधिपति की संतुष्टि के अनुसार दस लाख रूपये नगद अथवा समकक्ष मूल्य की संपत्ति विश्वविद्यालय अथवा किसी महाविद्यालय को अथवा उनके हितों के लिए दिया हो ।"

10. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-57A की उपधारा-(1) के प्रावधान के निम्न अंश का प्रतिस्थापन

"संबंद्ध महाविद्यालयों, जो राज्य सरकार के द्वारा पोषित नहीं है, में शिक्षकों की नियुक्ति झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर शासी निकाय के द्वारा की जायेगी। ऐसे महाविद्यालयों में शिक्षकों की सेवा मुक्ति, सेवा समाप्ति, हटाया जाना, सेवानिवृत्ति या पदावनति शासी निकाय द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के परामर्श से परिनियम में विहित रीति के अनुरूप की जायेगी ।

बशर्ते कि धर्म एवं भाषा के आधार पर संबंद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों की शासी निकाय शिक्षकों की नियुक्ति, सेवा मुक्ति, हटाया जाना, सेवा समाप्ति या उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कारवाई, झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के उपरान्त कर सकेंगे ।

बशर्ते कि जहां परिनिन्दा, वेतन वृद्धि की रोक या दक्षता अवरोध पार करना, और आरोपों के अन्वेषणपूर्ण होने तक निलंबन की स्थिति में झारखंड लोक सेवा आयोग की सलाह की आवश्यक नहीं होगी।"

57 (A) (1) के उपर्युक्त अंश निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित होः-

"संबंद्ध महाविद्यालयों, जो राज्य सरकार के द्वारा पोषित नहीं है, में शिक्षकों की नियुक्ति झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर शासी निकाय के द्वारा की जायेगी । ऐसे महाविद्यालयों में शिक्षकों की सेवा मुक्ति, सेवा समाप्ति, हटाया जाना, सेवानिवृत्ति या पदावनति शासी निकाय द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के परामर्श से परिनियम में विहित रीति के अनुरूप की जायेगी ।

बशर्ते कि धर्म एवं भाषा के आधार पर संबंद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों की शासी निकाय शिक्षकों की नियुक्ति, सेवा मुक्ति, हटाया जाना, सेवा समाप्ति या उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कारवाई, झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के उपरान्त कर सकेंगे ।

बशर्ते वैसे सम्बद्ध महाविद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा पोषित नहीं हो, धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यक सहित के शिक्षकों की प्रोन्नति झारखंड लोक सेवा आयोग के अनुशंसा के आधार पर किया जायेगा।

बशर्ते कि जहां परिनिन्दा, वेतन वृद्धि की रोक, या दक्षता अवरोध पार करना, और आरोपों

के अन्वेषणपूर्ण होने तक निलंबन की स्थिति में झारखंड लोक सेवा आयोग की सलाह की आवश्यक

नहीं होगी ।"

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य के शिक्षकों के हित तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के मानदंड को ध्यान में रखकर शिक्षक को पुनः परिभाषित करने का प्रस्ताव है । साथ ही जमशेदपुर वीमेन्स कॉलेज को स्तरोंनयन कर "जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर" भी बनाने का प्रस्ताव है ।

राज्य के शैक्षणिक हित में विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं प्रतिकुलपति की नियुक्ति के प्रावधान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित मानदंड तथा झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-10 उपधारा-(1) में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है । साथ ही विश्वविद्यालय के अधिषद की आजीवन सदस्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक राशि को आज के मौद्रिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव है ।

नए परिपेक्ष्य में राज्य के संबद्ध महाविद्यालयों (धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) में शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधिकृत किये जाने सम्बन्धी प्रावधान किया जा रहा है ।

(डॉ० नीरा यादव)
भार-साधक सदस्य

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

26 दिसम्बर, 2018 ई०।

संख्या-वि०स०वि०- 35/2018- 3728 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें।

ह०/-

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

[वि०स०वि०-24/2018]

झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018

विषय-सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।

2. झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (झारखण्ड अधिनियम- **12**, **2017)** की धारा **2**, **7**, **9**, **10**, **12**, **13**, **16**, **17**, **20**, **22**, **24**, **25**, **29**, **34**, **35**, **39**, **48**, **49**, **52**, **54**, **79**, **107**, **112**, **129** एवं **143** में संशोधन।

3. अनुसूची- I, II एवं III में संशोधन।

4. धारा- 43A, 49A एवं 49B का अन्तःस्थापन।

झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (झारखण्ड अधिनियम - 12, 2017) में संशोधन हेतु विधेयक।

भारत के उनहतरवे वर्ष में झारखंड राज्य के विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो -

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ-

(1) यह अधिनियम झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के उपबंध दिनांक 15 अक्टूबर 2018 के प्रभाव से प्रवृत माना जाएगा।

परन्तु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस विधेयक के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत होने के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जाएगा।

धारा 2 का संशोधन।

2. झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 मे;--

(1) खंड (4) में, ''अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण'' शब्दों के स्थान पर, ''धारा 171 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण और प्राधिकारी'' शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(2) खंड (16) में, ''केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड'' शब्दों के स्थान पर, ''केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड'' शब्द रखे जाएंगे

(3) खंड (17) में, उपखंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

''(ज) किसी घुडदौड क्लब द्वारा योगक या अनुज्ञप्ति के माध्यम से बुक मेकर को उपलब्ध कराई गई सेवाएं या किसी अनुज्ञप्तिधारी बुक मेकर की ऐसे क्लब को सेवाएं; और'';

(4) खंड (18) का लोप किया जाएगा;

(5) खंड (35) में, ''खंड (ग)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर ''खंड (ख)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखा जाएगा;

(6) खंड (69) में, उपखंड (च) में "अनुच्छेद 371" शब्द और अंक के पश्चात् "और अनुच्छेद 371´"शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(7) खंड (102) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा,

अर्थात् :-

'स्पष्टीकरण - शंकाओं के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "सेवा" पद में प्रतिभूतियों में संव्यवहारों को सुकर/सुगम बनाना या प्रबंध करना सम्मिलित है";।

धारा 7 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 में, 1 जुलाई, 2017 से,--

(1) उपधारा (1) में,--

(i) खंड (ख) में, "चाहे वह कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं" शब्दों के पश्चात्, "और" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा और सदैव अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा;

(ii) खंड (ग) में, "क्रियाकलाप" शब्द के पश्चात्, "और" शब्द का लोप किया जाएगा और सदैव लोप किया गया समझा जाएगा;

(iii) खंड (घ) का लोप किया जाएगा और सदैव लोप किया गया समझा जाएगा ; ' ;

(2) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और सदैव अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :-

"(1क) जहां कतिपय कार्यकलाप या संव्यवहार उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कोई पूर्ति हैं, उन्हें अनुसूची 2 में यथानिर्दिष्ट माल की पूर्ति या सेवा की पूर्ति माना जाएगा ।";

(3) उपधारा (3) में, "उपधारा (1) और उपधारा (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उपधारा (1), उपधारा (1क) और उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 9 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(4) सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो किसी अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों की पूर्ति के संबंध में ऐसे माल या सेवा या दोनों के प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय करेंगे तथा इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को लागू होंगे मानों वह माल या सेवा या दोनों की ऐसी पूर्ति के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति है"।

धारा 10 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 10 में,-

(1) उपधारा (1) में,-

‘(क) ‘’उसके द्वारा संदेय कर के बदले ऐसी दर पर’’ शब्दों के स्थान पर, ‘‘धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के बदले ऐसी दर पर’’ शब्द, अंक और कोष्ठाक रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक में, ‘‘एक करोड रूपए’’ शब्दों के स्थान पर, ‘‘एक करोड पचास लाख रूपए’’ शब्द रखे जाएंगे;

(ग) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘‘परंतु यह और कि कोई व्यक्ति, जो खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेता है, किसी राज्य में पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में कारबार के दस प्रतिशत से अनधिक मूल्य की सेवा (अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट से भिन्न) या पांच लाख रूपए, जो भी अधिक हो, की पूर्ति कर सकेगा ।’’;

(2) उपधारा (2) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा,

अर्थात् :-

‘‘(क) उपधारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, वह सेवा की पूर्ति में नही लगा हुआ है;’’।

धारा 12 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में, ‘‘उपधारा (1)’’ शब्द, कोष्ठक ओर अंक का लोप किया जाएगा।

धारा 13 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में, दोनों स्थानों पर आने वाले ‘‘उपधारा (2) के’’ शब्द, कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा।

धारा 16 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में,-

(1) खंड (ख) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्ः-

‘‘स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, यथास्थिती, माल या सेवा को प्राप्त किया है-

(i) जहां माल का परिदान किसी पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर किया गया है, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा माल के संचलन से पूर्व या दौरान, माल के मालिकाना दस्तावेजों के अंतरण के माध्यम से या अन्यथा कार्य कर रहा हो;

(ii) जहां सेवा का उपबंध पूर्तिकार द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के निदेश पर और उसके मद्दे किया जाता है।'';

(2) खंड (ग) में, ''धारा 41'' शब्द और अंक के स्थान पर, ''धारा 41 या धारा 43क'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 17 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 17 में,--

(1) उपधारा (3) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''छूट-प्राप्त पूर्ति का मूल्य'' पद में अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट के सिवाय उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।'';

(2) उपधारा (5) के खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

''(क) तेरह से अनधिक (चालक सहित) बैठने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटरयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग निम्नलिखित कराधेय पूर्ति करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :-

(अ) ऐसे मोटरयान की और पूर्ति; या

(आ) यात्रियों का परिवहन; या

(इ) ऐसे मोटरयान को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना; (कक) जलयान और वायुयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग-

(i) निम्नलिखित कराधेय पूर्ति करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :-

(अ) ऐसे जलयान और वायुयान की और पूर्ति; या

(आ) यात्रियों का परिवहन; या

(इ) ऐसे जलयान चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना या

(ई) ऐसे वायुयान चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;

(ii) माल के परिवहन के लिए;

(कख) साधारण बीमा, मोटरयानों की सर्विसिंग, मरम्मत और अनुरक्षण की सेवाएं, जहां उनका संबंध खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान से है :

परंतु ऐसी सेवा के लिए इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा--

(i) जहां खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान का उपयोग उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है;

(ii) जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो-

(i) ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के विनिर्माण में लगा हुआ है; या

(ii) उसके द्वारा बीमाकृत ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के संबंध में साधारण बीमा सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है;

(ख) माल या सेवा या दोनों की निम्नलिखित पूर्ति-

(i) खाद्य और सुपेय, आउटडोर कैटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, कास्मेटिक और प्लास्टिक शल्यक्रिया, खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान सिवाय तब जब उनका उपयोग उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा :

परंतु ऐसे माल एवं सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा जब ऐसे माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्ति का उपयोग किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसी प्रवर्ग के माल या सेवा या दोनों की जावक कराधेय पूर्ति के लिए या कराधेय समिश्र या मिश्रित पूर्ति के एक तत्व के रूप में किया जाता है;

(ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र की सदस्यता; और

(iii) छुट्टी या गृह यात्रा रियायत, जैसे छुटिटयों पर कर्मचारियों को विस्तारित यात्रा फायदे :

परंतु ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा, जहां किसी नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों को तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन उपबंध करना बाध्यकर हो ।''।

धारा 20 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 20 में, स्पष्टीकरण में, खंड (ग) में, ''प्रविष्टि 84 के अधीन'' शब्दों और अंक के स्थान पर, ''प्रविष्टि 84 और प्रविष्टि 92क के अधीन'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 22 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 22 में,--

(1) उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :..

"परंतुक यह और कि सरकार विशेष प्रवर्ग के किसी राज्य के अनुरोध पर तथा परिषद् की सिफारिशों पर पहले परंतुक में निर्दिष्ट समय आवर्त को दस लाख रूपए से ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगीं, जो बीस लाख रूपए से अधिक नहीं होगी और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, जो इस प्रकार अधिसूचित की जाए ;";

(2) स्पष्टीकरण में, खंड (iii) में, ''जम्मू-कश्मीर राज्य'' शब्दों के पश्चात् ''और अरूणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, और उत्तराखंड राज्य'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।''।

धारा 24 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 24 के खंड (ग) में ''वाणिज्य प्रचालक'' शब्दों के पश्चात् ''जिससे धारा 52 के अधीन कर का संग्रहण करने की अपेक्षा है'' शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 25 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 25 में,--

(1) उपधारा (1) में, पहले परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

''परन्तु यह और कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास किसी विशेष आर्थिक जोन में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 में यथापरिभाषित कोई यूनिट है या जो विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, ऐसे किसी पृथक् रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा, जो कि उसी राज्य में विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित उसके कारबार के स्थान से सुभिन्न है ।'';

(2) उपधारा (2) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

''परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके पास किसी राज्य में कारबार के बहु स्थान हैं, वहां विहित की जाने वाली शर्तों के अधीन रहते हुए, कारबार के ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा ।''।

धारा 29 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 29 में,--

(1) पार्श्व शीर्ष में, ''रद्दीकरण'' शब्द के पश्चात् ''या निलंबन'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(2) उपधारा (1) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

''परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकृत के रद्दीकरण के संबंध में फाइल की गई कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और रीति में, जो विहित की जाए, निलंबित किया जा सकेगा।'';

(3) उपधारा (2) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

''परंतुक यह और कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण से संबंधित कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, समुचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निलंबित किया जा सकेगा''।

धारा 34 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 34 में, --

(1) उपधारा (1) में, --

(क) ''कोई कर बीजक जारी किया गया है'' शब्दों के स्थान पर '' एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं'' शब्द रखे जाऐंगे;

(ख) ''जमा पत्र जारी'' शब्दों के स्थान पर '' किसी वित्तीय वर्ष में की गई पूर्तियों के लिए एक या अधिक जमा पत्र जारी'' शब्द रखे जाऐंगे;

(2) उपधारा (3) में, --

(क) ''कोई कर बीजक जारी किया गया है'' शब्दों के स्थान पर ''एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं'' शब्द रखे जाऐंगे;

(ख) ''नामें नोट'' शब्दों के स्थान पर ''किसी वित्तीय वर्ष में की गई पूर्तियों के लिए एक या अधिक नामे नोट जारी'' शब्द रखे जाऐंगे।

धारा 35 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (5) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

''परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को लागू नहीं होगी, जिसकी लेखाबहियां, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा किए जाने के अधीन है।''

धारा 39 का संशोधन।

17. मूल अधिनियम की धारा 39 में, --

(1) उपधारा (1) में, -

(क) ''ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित की जाए'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे प्रारूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) ''ऐसे कलैंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन को या उससे पूर्व'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

''परंतु सरकार परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय ऐसे वर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षोपायों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेंगे।'';

(2) उपधारा (7) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा,

अर्थात्ः-

"परंतु सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय ऐसे वर्गो को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षोपायों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए, ऐसी विवरणी के अनुसार, ऐसी विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए उससे अपेक्षित अंतिम तारीख को या उससे पूर्व सरकार को, शोध्य कर या उसके किसी भाग का संदाय करेंगे।";

(3) उपधारा (9) में, --

(i) "उस मास या तिमाही जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां आई हैं" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित की जाए" शब्द रखे जाऐंगे;

(ii) परंतुक में "वित्तीय वर्ष की समाप्ति" शब्दों के स्थान पर, ऐसे वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, समाप्ति" शब्द रखे जाएंगे।\

धारा 43 का समावेशन।

18. मूल अधिनियम की धारा 43 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः-

विवरणी प्रस्तुत करने और इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने के लिए प्रक्रिया।

"43अ (1) धारा 16 की उपधारा (2), धारा 37 या धारा 38 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणियों में, पूर्तिकारों द्वारा की गई पूर्तियों के ब्यौरों का सत्यापन, विधिमान्यकरण, उसमें उपांतरण करेगा या उन्हें हटाएगा।

(2) धारा 41, धारा 42 या धारा 43 में किसी बात के होते हुए भी, प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया और उसका सत्यापन उस प्रकार किया जाएगा, जो विहित किया जाए।

(3) प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने के प्रयोजनों के लिए, सामान्य पोर्टल पर पूर्तिकार द्वारा जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए।

(4) उपधारा (3) के अधीन जावक पूर्तियों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में इनपुट कर प्रत्यय की ऐसी अधिकतम रकम सम्मिलित हो सकेगी, जिसका इस प्रकार फायदा लिया जा सकता है, जो उक्त उपधारा के अधीन पूर्तिकारों द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों के आधार पर उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(5) ऐसी जावक पूर्तियां में, जिसके लिए पूर्तिकार द्वारा उपधारा (3) के अधीन ब्यौरों को प्रस्तुत किया गया है, विनिर्दिष्ट कर की रकम को, अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के रूप में माना जाएगा।

(6) किसी पूर्ति का पूर्तिकार और प्राप्तिकर्ता, संयुक्ततः और पृथकतः, जावक पूर्तियों के संबंध में लिए गए, यथास्थिति इनपुट कर प्रत्यय का संदाय या कर का संदाय करने के लिए दायी होंगे, जिनके ब्यौरे उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए गए हैं, किन्तु विवरणी अभी प्रस्तुत नहीं की गई है।

(7) उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए, वसूली ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में गलती से प्राप्त की गई एक हजार रूपए से अनाधिक कर या इनपुट कर प्रत्यय की रकम की वसूली न करने के लिए उपबंध हो सकेगा।

(8) ऐसी जावक पूर्तियों, जिनके ब्यौरे उपधारा (3) के अधीन किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित अवधि में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, के संबंध में प्रक्रिया, सुरक्षोपाय और कर की रकम की अवसीमा, --

(क) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के छह मास के भीतर;

(ख) जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम, व्यतिक्रम की रकम के संदाय की अंतिम तारीख से दो मास से अधिक की अवधि के लिए जारी रहता है, वह होगी, जो विहित की जाए।

धारा 48 का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में, ''प्रस्तुत करने के लिए'' शब्दों के पश्चात् ''और ऐसे अन्य कृत्य करने के लिए'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 49 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 49 में, --

(1) उपधारा (2) में, ''धारा 41'' शब्द और अंकों के स्थान पर, ''धारा 41 या धारा 43अ'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(2) उपधारा (5) में, --

(क) खंड (ग) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

''परंतु राज्य कर के मुद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मुद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;''

(ख) खंड (घ) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा,

अर्थातः-

''परंतु संघ राज्यक्षेत्र कर के मुद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मुद्दे कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;''।

नई धारा 49अ और 49ब का अंतःस्थापन।

21. मूल अधिनियम की धारा 49 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :..

कतिपय शर्तों के अधीन रहने हुए इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग।

"49अ धारा 49 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य कर इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर या राज्य कर के संदाय के मद्दे, केवल तब किया जाएगा, जब एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय का पहले ही ऐसे संदाय के प्रति पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है।

इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग का आदेश।

49ब इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी और धारा 49 की उपधारा (5) के खंड (ड.) और खंड (च) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार परिषद् की सिफारिशों से, यथास्थिति, एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर, या संघ राज्यक्षेत्र कर का, ऐसे कर के संदाय के मद्दे उपयोग किए जाने के आदेश और रीति को विहित कर सकेगी ।"।

धारा 52 का संशोधन।

22. मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (9) में, ''धारा 37'' शब्द और अंकों के स्थन पर, ''धारा 37 या 39" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 54 का संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 54 में,--

(1) उपधारा (8) के खंड (क) में "शून्य रेटेड पूर्तियों" शब्दों, दोनों स्थानों पर जहां वे आते है, के स्थान पर, क्रमशः "निर्यात" और "निर्यातों" शब्द रखे जाएंगे।

(2) स्पष्टीकरण के खंड (2) में,--

(क) उपखंड (ग) की मद (प) में, "विदेशी मुद्रा में" शब्दों के पश्चात् "या भारतीय रूपए में, जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी जाए,", शब्द अंतःस्थापीत किए जाएंगे;

(ख) उपखंड (ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थातः--

''(ड.) उपधारा (3) के पहले परंतुक के खंड (पप) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय की दशा में, उस अवधि के लिए, जिसमें ऐसे प्रतिदाय के लिए दावा उत्पन्न होता है, धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख;''।

धारा 79 का संशोधन। 24. मूल अधिनियम की धारा 79 में उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अथार्त्ः-

''स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति शब्द में, यथस्थिति, धारा 25 की उपधारा (4) या उपधारा (5) में यथानिर्दिष्ट ''विशिष्ट व्यक्ति'' सम्मिलित होंगें।''।

धारा 107 का संशोधन। 25. मूल अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) के खंड (ख) में, ''बराबर राशि का'' शब्दों के पश्चात्, '', अधिकतम पच्चीस करोड रूपए के अधीन रहते हुए,'' शब्द अंतःस्थापित किए जाऐंगे।

धारा 112 का संशोधन। 26. मूल अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (8) के खंड (ख) में, "बराबर राशि" शब्दों के पश्चात, "अधिकतम पचास करोड़ रुपए के अधीन रहते हुए, शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 129 का संशोधन। 27. मूल अधिनियम की धारा 129 की उपधारा (6) में "सात दिन" शब्दों के स्थान पर "चौदह दिन" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 143 का संशोधन। 28. मूल अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (ख) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-

"परंतु यह और कि पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर, एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि को, आयुक्त द्वारा क्रमशः एक वर्ष और दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए आगे और बढ़ाया जा सकेगा।"।

अनुसूची I का संशोधन। 29. मूल अधिनियम की अनुसूची I के पैरा 4 में, "कराधेय व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "व्यक्ति" शब्द रखा जाएगा।

अनुसूची II का संशोधन। 30. मूल अधिनियम की अनुसूची II के शीर्षक में, "क्रियाकलाप" शब्द के पश्चात् "या संव्यवहार" शब्द अंतःस्थापित किया जाएंगे और 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

अनुसूची III का संशोधन। 31. मूल अधिनियम की अनुसूची III में,--

(1) पैरा 6 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्ः--

" 7. भारत के बाहर किसी स्थान से, भारत के बाहर किसी अन्य स्थान पर माल की, ऐसे माल को भारत में प्रवेश किए बिना पूर्ति।

8. (क) घरेलू उपभोग के लिए अनुमति प्रदान किए जाने से पूर्व किसी व्यक्ति को भांडागार में रखे गए माल की पूर्ति।

(ख) प्रेषिति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, माल का भारत से बाहर अवस्थित मूल पत्तन से प्रेषित किए जाने के पश्चात् किंतु घरेलू उपभोग के लिए अनुमति दिए जाने से पूर्व माल के मालिकाना हक के दस्तावेज में पृष्ठांकन द्वारा माल की पूर्ति।"

(2) स्पष्टीकरण को, स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

स्पष्टीकरण- इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, "भांडागार में रखे गए माल" पद का वही अर्थ होगा, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में उसका है।"।

1962
का
52

उदेश्य एवं हेतु

केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों को राज्य में क्रियान्वित करने हेतु झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा- 2, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 34, 35, 39, 48, 49, 52, 54, 79, 107, 112, 129, 143, Schedule-I, II एवं III में संशोधन तथा धारा 43A, 49A एवं 49B के अन्तःस्थापन की आवश्यकता है ताकि उक्त अधिनियम के तत्संबंधी धाराओं में अनुभूत व्यवहारिक कठिनाईयों एवं प्रशासनिक उदेश्यों की पूर्ति हो सके।

एतदर्थ झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 के माध्यम से झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(रघुवर दास)

भार साधक सदस्य

वित्तीय संलेख

केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों को राज्य में क्रियान्वित करने हेतु झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा- 2, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 34, 35, 39, 48, 49, 52, 54, 79, 107, 112, 129, 143, Schedule-I, II एवं III में संशोधन तथा धारा 43A, 49A एवं 49B के अन्तःस्थापन की आवश्यकता है। उक्त संशोधनों से राज्य के आंतरिक संसाधन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ हीए कतिपय संशोधनों से राज्य के व्यवसायियों को सहूलियत होगी।

प्रस्तावित झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 पर योजना-सह-वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

(रघुवर दास)
भार साधक सदस्य

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 1 -- 50 ।